न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

अपील संख्या :– आर.ए.एस 73/2019

रामावतार गुर्जर पुत्र भरता गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा उर्फ तालूकाबास तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान

अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 25/9/2019 न्यायालय तहसीलदार तहसील विराटनगर उनवानी प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छीतोली बनाम रामावतार मु.नं. 42/2019

निर्णय दिनांक 06-4-2021

तहसीलदार विराटनगर द्वारा मु.नं. 42/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामवतार में पारित निर्णय 25/9/2019 बाबत आराजी ख.नं. 31/0.20 है0 ग्राम रघुनाथपुरा तालुकाबास तहसील विराटनगर से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश की है जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश किये हैं :–

1. यह है कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की पेश की गयी है कि ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ तालूका का बास पटवार हल्का छीतोली के आराजी ख. नं. 31 रकबा 0.20 है0 पर बाजरा बोकर अतिकमण कर लिया है तथा पश्चात्वर्ती है। उक्त रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय ने मु.नं. 42/2019 दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर तथा पटवारी हल्का के बयान लेकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय 25/9/2019 के द्वारा अपीलार्थी को अतिकमी मानकर अपीलाथ्री को चारागाह भूमि ख.नं. 31/0.20 है0 में पश्चातवर्ती मानते हुए 3 माह की सिविल कारावास की सजा एवं वार्षिक लगान 0.74 रूपये का पचास गुणा यानि 37/– रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाकर अपीलार्थी के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट बनाम थानाधिकारी विराटनगर जारी करने के आदेश पारित किये है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 25/9/2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने श्रीमान् न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है।
2. अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 25/9/2019 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है।
3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं देकर अपीलार्थी को उसके मुल्यवान अधिकार से वंचित किया है। इस कारण से भी अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है।

Scanned by Scanner Go

4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवायी का प्रर्याप्त अवसर एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोष सिद्ध कर अध्य कानूनी भूल की है। इस कारण से भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।
5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका स्थिति का निरीक्षण किये बिना एवं अपीलार्थी के पिछे से एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। इस कारण भी मान्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।
6. यह है कि अपीलाधीन निर्णय हेतु नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय डिक्रीयों, आदेशों से पूर्व उसे नाटिस द्वारा सूचित कर सम्यक तामील की प्रकिया अपनायी जाकर उचित सुनवायी का अवसर दिया जाकर युक्तियुक्त निर्णय पारित करना चाहिए था, परन्तु यहां उक्त कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। अपीलार्थी को उक्त मामलें की सम्यक सूचना नहीं दी जाकर एवं बिना अपीलार्थी को उपस्थिति उसके पिछे से यह निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व निरस्तनीय है।
7. यह है कि अपीलार्थी अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वह कृषि व पशुपालन से अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता है एवं अत्यन्त दरिद्रता पूर्ण दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन करता है। अपीलार्थी परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। यदि तीन माह के लिए कारावास भेजा जायेगा तो उसके परिवारजन के लिए भूखे मरने की नौबत आ जायेगी, जिस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
8. यह है कि अपीलार्थी का अराजी ख.नं. 31/0.20 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ तालूकाबास तहसील विराटनगर पर कब्जा नहीं है तथा ना ही अपीलार्थी ने किसी प्रकार से फसल बोकर अतिकमण कर रखा है, जिस कारण भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।
9. यह है कि प्रस्तुत अपील का श्रवणाधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है जो निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है तथा अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर का निर्णय 25/9/2019 सरकार बनाम रामावतार को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।
10. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील के न्यायालय हाजा में पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस नियमानुसार जारी किये गये बाद सूचना के पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।
11. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि पटवारी हल्का छीतोली द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम रघुनाथपुरा तालुकाबास के आराजी ख.नं. 31/0.20 है0 किस्म चारागाह में अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा नाजायज रूप से भूमि का अतिकमण कर बाजरा की फसल बो रखी है तथा पश्चातवर्ती अतिकमी है। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार विराटनगर को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्व एल. आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत् कार्यवाही कर अपने निर्णय 25/9/2019 के द्वारा

Scanned by Scanner Go

अतिकमी को मौके से बेदखल करने लगान का पचास गुना पैनल्टी 37/- रू. तथा 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया तथा सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान ना किया जाकर एक पक्षीय निर्णय पारित किया है तो निरस्तनीय है। अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कोई किसी प्रकार का अतिकमण नहीं है। पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये, बिना सीमाज्ञान कराये उक्त आदेश पारित कर दिये गये, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के विपरीत है। नैसर्गिक सिद्वान्त के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय डिक्रीयां आदेशों से पूर्व उसे नोटिस द्वारा सूचित कर समयक तामील की प्रकिया अपनायी जाकर उचित सुनवायी का अवसर दिया जाकर युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जाता है, जबकि अपीलान्ट/गैर सायल को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। पटवारी हल्का ने बिना जांच एवं सीमाज्ञान किये झूठी रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्व तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। उक्त झूठी रिपोर्ट के आधार पर पटवारी हल्का से बिना प्रति परिक्षण जिरह कराये उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। अपीलार्थी अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है वह कृषि एवं पशुपालन से अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण रकता है, परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। यदि तीन माह की सिविल कारावास अपीलान्ट को हो जाती है तो उसके परिवार को भूखे मरनेकी नोबत आ जायेगी। इसलिए अपीलाधीन आदेश 25/9/2019 मु.नं. 42/2019 सरकार बनाम रामावतार बाबत खसरा नम्बर 31/0.20 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तालूकाबास को अपास्त फरमावें।

12. बहस पैरोकार सुनी गयी। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया गया है कि ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ तालुकाबास की चारागाह भूमि आराजी ख. नं. 31/0.20 है0 में गैर सायल द्वारा बाजरा की फसल बोकर नाजायज रूप से अतिकमण किया है। उक्त अतिकमण बाबत पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 25/9/2019 को निर्णय पारित किया है। अतिकमी पश्चातवर्ती अतिकमी है। इसलिए गैर सायल की 90 दिवस के लिए सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित हुये है। वर्तमान में अपीलार्थी का मौके पर कब्जा नहीं है। उक्त आराजीयात् खाली है कोई अतिकमण नहीं है। अतिकमी बार-बार अतिकमण का आदि है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज फरमावें।

13. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रकरण एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 सरकार भूमि पर अतिकमण से सम्बन्धित है। पत्रावली के अवलोकन से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ तालुकाबास के आराजी ख.नं. 31/0.20 किस्म चारागाह पर बाजरा की फसल उक्त भूमि पर नाजायज रूप से गैर सायल/अपीलान्ट

Scanned by Scanner Go

द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर दिनांक 25/9/2019 को निर्णय पारित किया जाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध होने के आरोप में भौतिक रूप से बेदखली पैनल्टी एवं 90 दिवस की सिविल कारावास के आदेश पारित किये जाना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश/निर्णय दिनांक 25/9/2019 को अपास्त किया जावें।

चूँकि प्रकरण का अवलोकन करने एवं उभयपक्षों की बहस सुनने से ज्ञात होता है कि प्रकरण धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 सरकारी भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने से सम्बन्धित है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 25/9/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामावतार बाबत ख.नं. 31/0.20 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ तालुकाबास तहसील विराटनगर में निर्णय पारित कर बेदखली पैनल्टी सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित हुये है। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा आदेशिका पर यह अंकन किया है कि वर्तमान में अपीलार्थी का मौके पर कब्जा नहीं है। उक्त आराजीयात् खाली है। कोई अतिक्रमण नहीं है। इस प्रकार नायब तहसीलदार विराटनगर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही अपीलान्ट का कब्जा है। इसलिए नरमी का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास की सजा को स्थिगित किया जाना उचित है। भविष्य में अपीलान्ट उक्त आराजी भूमि पर कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत पाबन्द रहेगा। उक्त शर्त के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।

14. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित किया गया आदेश 25/9/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामावतार वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ तालुकाबास मु.नं. 42/2019 में 90 दिवस की सिविल कारावास के आदेश को स्थिगित किया जाता है तथा इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 25/9/2019 के समस्त आदेश यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये जाते है।

15. यह निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by Scanner Go